पक्षकार – छ0ग0 शासन वि0 राजेश कुमार यादव व एक अन्य प्र0 क्र0 194 / 18

Witness No. 04 For अभियोजन साक्षी 04 Deposition taken the 13 / 02 / 2019 day of. बुधवार witness's apparent age 28 वर्ष

States on affirmation शपथपूर्वक my name is.. श्री इंद्रकुमार पिता पन्ना लाल साहू occupation ड्रायवरी addres न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर जिला– रायपुर छ0ग0

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्रीमती सुनीता तोमर, एजीपी वास्ते अभियोजन</u>

1– मै न्यायालय उपस्थित आरोपी राजेश कुमार यादव, अमलेश धृतलहरे को जानती हू। मै मृतक नंदकिशोर को भी जानता हू। मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। नंदकिशोर की मृत्यु कैसे हुई मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। इससे पूर्व मेरा किसी न्यायालय में बयान नहीं हुआ था। न्यायिक मजिस्टेट दिप्ती सिंह गौर के समक्ष दिया गया बयान प्र.पी.–8 दिखाकर साक्षी ने उस पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

नोट– <u>इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी विचार बाद अनुमति दी गई।</u>

2– मुझे नहीं मालूम कि दिनांक वर्ष 2010 में रात्रि 10:30 बजे बरसात के समय मै महेश साहू, धर्मेन्द्र पटेल, राजेश कुमार यावद, अवलेश के साथ चबूतरे पर बैठे थे। मुझे इस बात की जानकारी नही है कि ठीक उसी समय वहां पर नंदकिशोर मनहरे आया और कुछ देर बाद न्यायालय उपस्थित आरोपीगणो से उसका विवाद होने लगा।

3– मुझे इस बात की जानकारी नही है कि तभी आरोपी राजेश कुमार यावद नंदकिशोर को बोला कि पहले भी तुम हम लोगो से झगडा किया था आज तुम्हे निपटा देगें कहकर मनहरे के गले में रखे गमछा को आरोपी राजेश कुमार यादव व अवलेश ने खीचकर गला घोटते रहे। यह कहना गलत है कि जिससे नंदकिशोर नीचे गिर गया था और हाथ पैर छटपटाने लगा था। यह कहना गलत है

कि नंदकिशोर के नीचे गिर जाने के बाद भी ये दोनो आरोपीगण उसे गले में लगे गमछा को खीचते रहे।

4— यह कहना गलत है कि मै, धर्मेश तथा महेश डरकर वहां से भाग गये थे। यह कहना गलत है कि उसके बाद आरोपीगण आधा घंटे बाद मेरे घर आकर मुझे बोला कि मोटर सायकल से कही जाना है पेटोल डलाना है कहकर मुझसे पांच सौ रूपये मांगा था।

5— मुझे इस बात की जानकारी नही है कि उसके कुछ देर बाद दोनो आरोपीगण मोटर सायकल को चलाते हुए लेकर आये और नंदकिशोर को मोटर सायकल में डालकर पीछे से अवलेश उर्फ मोनू पकडा था और राजेश कुमार यादव मोटर सायकल चलाते हुए ले गया था।

6— यह कहना गलत है कि मैने धर्मेन्द्र पटेल तथा महेश साहू ने घटना के संबंध में क्राइम ब्रांच की पुलिस को बताया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—9 के अ से अ भाग वर्ष 2010 को मै देखा हू.....का कथन पढकर सनुाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा बयान देने से इंकार किया, पुलिस वाले कैसे लिखे उसे नहीं पता।

7— यह कहना सही है कि मैने प्रदर्श पी—8 का बयान न्यायालय में दिया था। स्वतः कहा कि पुलिस ने मुझे ऐसा बयान देने के लिए कहा था तब मैने उक्त बयान दिया था। यह कहना गलत है कि मै आरोपीगणो के दबाव मे आकर और उनके कहे अनुसार न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हू।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश सिंह ठाकुर अधिवक्ता वास्ते आरोपी अवलेश धृतलहरे</u>

<u>8—</u> यह कहना सही है कि थाना राजेन्द्र नगर एवं क्राइम ब्राच वालो ने मेरे सहित आठ दस लडको को थाने में बैठा दिये थे। यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने हमे कहा था कि हमारे बताये अनुसार कथन करने से इंकार करोगे तो तुम लोगो को भी मर्डर के मामले में फंसा देगे।

9— यह कहना सही है कि पुलिस के धमकाये जाने से डर कर हम लोगो ने प्रदर्श पी—8 के अनुसार बयान दे दिया था। यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने प्रदर्श पी—9 में वर्णित बयान अपनी मर्जी से वर्णन किया है। यह कहना सही है कि मैने प्रदर्श पी—9 के अनुसार पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। यह कहना

सही है कि मेरे समाने कोई घटना नहीं घटी है। यह कहना सही है कि गुमशुदा नंदकिशोर मनहरे गांजा एवं नशे का आदी था। यह कहना सही है कि मृतक नंदकिशोर नशे का आदी होने के कारण कई दिनो तक घर नहीं आता था।

10— यह कहना सही है कि गुमशुदा नंदकिशोर नशे की हालात में आने जाने वाले राहगीर व मोहल्ले वालो के साथ लडाई झगडा करते रहता था। यह कहना सही है कि सुनने में यह भी आता था कि वह बाहर में भी नशे के कारण लडाई झगड कर लेता था। यह कहना सही है कि नंदकिशोर मनहरे का अपनेजीवन काल में कई सारे लोगो के साथ लडाई झगडा होता था।

11— यह कहना सही है कि गुमशुदा नंदकिशोर का मेरे सामने आरोपीगण से कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संदीप अधिवक्ता वास्ते आरोपी राजेश यादव</u>

12— कुछ नहीं।

वाचित स्वीकृत

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर— .....